



पत्रांक:-कु0स02सी-समिअ/ 278 / (कार्य परि0बैठक-03-04)/15

दिनांक:- 17 अक्टूबर, 2015

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2015 का कार्यवृत्त

दिनांक 05-10-2015 को अपराह्न 04:00 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित 'डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष' मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्य परिषद् की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1- डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति | -अध्यक्ष |
| 2- प्रो0राम प्रकाश द्विवेदी, संकायाध्यक्ष, समाज कार्य संकाय। | -सदस्य |
| 3- प्रो0कृपाशंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय। | -सदस्य |
| 4- प्रो0मुन्नीलाल, अर्थशास्त्र विभाग। | -सदस्य |
| 5- प्रो0रणधीर प्रताप सिंह, अंग्रेजी विभाग। | -सदस्य |
| 6- डॉ0अशोक कुमार पाण्डेय, श्री सुदृष्टि बाबा स्ना0महा0, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया। | -सदस्य |
| 7-डॉ0शिवनारायण गुप्त, पं0दीन दयाल उपा0राज0महा0, पलहीपट्टी, वाराणसी। | -सदस्य |
| 8-डॉ0सूर्यभान प्रसाद, राजनीति विज्ञान विभाग। | -सदस्य |
| 9-डॉ0अरूण कुमार जायसवाल, उपाचार्य, मनोविज्ञान विभाग | -सदस्य |
| 10-डॉ0अमिता सिंह, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग। | -सदस्य |
| 11-डॉ0रंजन कुमार, उपाचार्य, विधि विभाग। | -सदस्य |
| 12-डॉ0अनिल कुमार चौधरी, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग | -सदस्य |
| 13-डॉ0राजेन्द्र सिंह, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग। | -सदस्य |
| 14-डॉ0राजमुनि, प्राध्यापक, हिन्दी विभाग | -सदस्य |
| 15-डॉ0ओम प्रकाश मलिक, प्राध्यापक, कमला आर्य कन्या स्ना0महा0, मिर्जापुर | -सदस्य |
| 16-कुलसचिव, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी। | -सदस्य/सचिव |
| 17-प्रो0के0के0 अग्रवाल, एसोसिएट-एन.सी.सी. आफिसर। | -विशेष आमंत्रित |
| 18-वित्त अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी। | -विशेष आमंत्रित |
| 19-प्रो0रवि प्रकाश पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग। | -विशेष आमंत्रित |

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गये:-

बिन्दु सं0(01):- कार्य परिषद् की गत बैठक दिनांक 07.05.2015, आपात बैठक दिनांक 25.06.2015, 22.07.2015 तथा 20.08.2015 के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार एवं कृतकार्यवाही की सूचना।

निर्णय :- कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 07.05.2015 के बिन्दु सं0-07 के अन्तर्गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.05.2015 के बिन्दु सं0-13(अध्यक्ष की अनुमति) को पुनः वित्त समिति के विचार हेतु सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

परिषद् ने उपर्युक्त संशोधन के साथ कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 07.05.2015 एवं आपात बैठक दिनांक 25.06.2015, 22.07.2015 तथा आपात बैठक दिनांक 20.08.2015 के कार्यवृत्त को पुष्ट किया एवं कृतकार्यवाही की सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(02):-

उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 एवं संशोधित परिनियम खण्ड 2.20 के अधीन कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 03.07.2015 के अपराहन से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए कार्यालय आदेश सं0 कु0स0/303/2ए सा0प्र0-I(विभागाध्यक्ष)13/2015 दिनांक 03.07.2015 द्वारा प्रो0शिव कुमार मिश्रा, आचार्य, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग को चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग का विभागाध्यक्ष बनाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(03):-

उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(4) एवं परिनियम खण्ड 2.08 के अधीन कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 27.07.2015 के अपराहन से तीन वर्ष के लिए कार्यालय आदेश सं0 कु0स0/395/2ए सा0प्र0-I(संकायाध्यक्ष)13/2015 दिनांक 23 जुलाई, 2015 द्वारा प्रो0सत्या सिंह, कम्प्यूटर विज्ञान अनुप्रयोग विभाग को पुनः चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(04):-

कार्यालय आदेश संख्या R/449/2A G.A.-II(Pers.)/2015 दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा श्री नरेन्द्र मिश्रा, असि0रजिस्ट्रार, डॉ0भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली को कम्प्यूटर आपरेटर, संगणक केन्द्र, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पद पर दिनांक 07.08.2015 से 06.08.2016 तक लियन सहित अवकाश विस्तारित किये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(05):-

कार्यालय पत्र सं0 कु0स0/557/2ए सा0प्र0-I(व्यक्ति)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, असि0प्रोफेसर, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग को शोध हेतु स्वीकृत दिनांक 01.01.2015 से 30.04.2016 के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश को सवेतन अध्ययन अवकाश में स्वीकृत किये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(06):-

कार्यालय पत्र सं0 कु0स0/564/2ए सा0प्र0-I(व्यक्ति)13/2015 दिनांक 20 अगस्त, 2015 द्वारा कार्यालय आदेश सं0 कु0स0/8535/2ए सा0प्र0-I(व्यक्ति)/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2013 के क्रम में डॉ0मो0आरिफ, एसो0प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग को प्रदत्त 01 वर्ष लियन सहित अवैतनिक अवकाश अवधि विस्तारित किये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(07):-

कार्यालय पत्र संख्या कु0स0-2सी.समिअ/2667(स्व0पाठ0अध्या0)/09 दिनांक 14 अगस्त, 2015 जो कुलपति जी के आदेश दिनांक 10.08.2015 के अनुपालन में एम0फिल0राजनीति विज्ञान(स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) में 20 सीट बढ़ाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(08):-

श्रीमती सरोज सिंह पत्नी स्व0रामवीर सिंह तोमर के आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2015 जो अपने एक मात्र पुत्र डॉ0शिशुपाल सिंह तोमर के मृतक आश्रित के रूप में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णय :-

कार्य परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार डॉ0शिशुपाल सिंह तोमर पुत्र स्व0रामवीर सिंह तोमर को तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत नैतिक लिपिक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि 'ट्रीपल सी' प्रमाण पत्र एवं टाइप का ज्ञान एक वर्ष के भीतर प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे अन्यथा की स्थिति में वेतनवृद्धि अवरुद्ध रहेगी।

बिन्दु सं0(09):-

अधोलिखित असि0प्रोफेसर के एक वर्ष की परिवीक्षण काल अवधि दिनांक 01.07.2012 को पूर्ण होने के फलस्वरूप उक्त पद पर स्थायीकरण पर विचार-

क्रं0	अध्यापक का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षण काल पूर्ण होने की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1.	डॉ0अरुण कुमार सिंह	असि0प्रोफेसर	समाजशास्त्र	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
2.	डॉ0विजय कुमार रंजन	असि0प्रोफेसर	हिन्दी	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
3.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	असि0प्रोफेसर	हिन्दी	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
4.	सुश्री अंजना वर्मा	असि0प्रोफेसर	इतिहास	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
5.	डॉ0सुनील कुमार विश्वकर्मा	असि0प्रोफेसर	ललितकला	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
6.	श्री रेशम लाल	असि0प्रोफेसर	राजनीति वि0	01.07.2011	30.06.2012	01.07.2012
7.	श्री प्रदीप	असि0प्रोफेसर	अंग्रेजी	05.08.2014	04.08.2015	05.08.2015
8.	डॉ0नीरज कुमार सोनकर	असि0प्रोफेसर	अंग्रेजी	09.08.2014	08.08.2015	09.08.2015

निर्णय :-

परिषद् ने विचारोपरान्त उपर्युक्त विवरण के अनुसार सभी अध्यापकों के सम्मुखांकित स्थायीकरण की तिथि से उसकी सेवा स्थायी करने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(10):-

श्री तहसीलदार सिंह, वरिष्ठ सहायक, सा0प्रशासन विभाग की सेवावधि दिनांक 20.03.2015 को 02 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.03.2015 से उक्त पद पर स्थायीकरण किये जाने पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचारोपरान्त श्री तहसीलदार सिंह को दिनांक 21.03.2015 से वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थायीकरण किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(11):-

श्री कैलाशनाथ सिंह, वरिष्ठ सहायक, परीक्षा गोपनीय विभाग की सेवावधि दिनांक 20.03.2015 को 02 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.03.2015 से उक्त पद पर स्थायीकरण किये जाने पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचारोपरान्त श्री कैलाशनाथ सिंह को दिनांक 21.03.2015 से वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थायीकरण किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(12):-

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक, सा0प्रशासन विभाग की सेवावधि दिनांक 20.03.2015 को 02 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.03.2015 से उक्त पद पर स्थायीकरण किये जाने पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचारोपरान्त श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 21.03.2015 से वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थायीकरण किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(13):-

श्री विनय शंकर उपाध्याय, वरिष्ठ सहायक, शारीरिक शिक्षा विभाग के क्रिया-कलाप व व्यवहार सम्बन्धी विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग के पत्रांक -शा0शि0वि0/685/2015 दिनांक 10.08.2015 तथा सन्दर्भगत प्रकरण पर प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति की आख्या जो प्रकरण को सी0बी0सी0आई0डी0 को सौपने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों से अवगत हुई और सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री विनय शंकर उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाय और प्रकरण विस्तृत जॉच हेतु सी0बी0सी0आई0डी0 को सुपुर्द करने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(14):-

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय के प्रस्ताव दिनांक 07.05.2015 जो छात्र कल्याण संकाय में अतिरिक्त संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय एवं अतिरिक्त प्राक्टर की नियुक्ति के क्रम में सा0प्रशासन की टिप्पणी दिनांक 08.06.2015 जिसमें उल्लिखित है कि अतिरिक्त प्राक्टर एवं अतिरिक्त संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण का कोई पद सृजित करने जैसी व्यवस्था परिनियमावली में नहीं है, पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि परिनियम/अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

बिन्दु सं0(15):-

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, वरिष्ठ सहायक, इतिहास विभाग द्वारा (मानविकी संकाय कार्यालय में रहते हुए (सत्र 2005-06) में बी0ए0प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु फर्जी प्रवेश स्लिप तैयार करने आदि के आरोप में निलम्बित किये जाने की बहाली एक वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिए रोकने एवं निलम्बित अवधि की जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त वेतन

देय नहीं होगा, की शर्त पर की गई) उक्त रोकई परिलब्धियों जैसे एक वेतनवृद्धि अवमुक्त करने तथा निलम्बन अवधि (दिनांक 01.09.2005 से 07.07.2006) में रोके गये वेतन (जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त) को अवमुक्त किये जाने पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर श्री ओम प्रकाश पाण्डेय का प्रत्यावेदन अस्वीकार किया और यह भी निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश पाण्डेय का स्थानान्तरण मानविकी संकाय से अन्यत्र किया जाय।

बिन्दु सं0(16):-

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.09.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.09.2015 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-03, 08 व 12 को पुनः विचार हेतु वित्त समिति को सन्दर्भित किये जाने के निर्णय के साथ ही वित्त समिति के अधोलिखित कार्यवृत्त को अनुमोदित किया—

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-09-2015 का कार्यवृत्त

कार्यसूची का बिन्दु संख्या - 1

वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-05-2015 तथा आपात बैठक दिनांक 05-08-2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
(संलग्नक 1, 2)

संस्तुति - वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-05-2015 तथा आपात बैठक दिनांक 05-08-2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या - 2

वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-05-2015 एवं आपात बैठक दिनांक 05-08-2015 में की गयी संस्तुतियों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना। (संलग्नक 3, 4)

संस्तुति - वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-05-2015 तथा आपात बैठक दिनांक 05-08-2015 में की गयी संस्तुतियों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना को अंकित किया गया।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या - 3

विभिन्न जिलों में बनाये जाने वाले संकलन केन्द्रों हेतु सेमेस्टर परीक्षाओं के सन्दर्भ में भुगतान की दर निर्धारण पर विचार।

संस्तुति - समिति ने विचारोपरान्त विभिन्न जिलों में वार्षिक तथा सेमेस्टर व अन्य परीक्षाओं के लिये बनाये जाने वाले संकलन केन्द्रों के लिये निम्नानुसार भुगतान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की -

विवरण	पूर्व स्वीकृत दर	एतद्वारा निर्धारित दर	
		वार्षिक परीक्षाएं	बी.एड., बैकपेपर, सेमेस्टर आदि
प्राचार्य	₹ 4,500/-	₹ 6,500/-	₹ 3,250/-
प्राध्यापक (1)	₹ 6,000/-	₹ 6,000/-	₹ 3,000/-
तृतीय श्रेणी कर्मचारी (2)	₹ 1,800/- (प्रत्येक)	₹ 1,800/- (प्रत्येक)	₹ 900/- (प्रत्येक)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (2)	₹ 1,200/- (प्रत्येक)	₹ 1,200/- (प्रत्येक)	₹ 600/- (प्रत्येक)
जलपान व्यय	₹ 15/- (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	₹ 15/- (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	₹ 15/- (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)
आनुषंगिक व्यय	₹ 500/-	₹ 500/-	₹ 250/-
जनरेटर व्यय	₹ 10,000/- (अधिकतम)	₹ 10,000/- (अधिकतम)	₹ 5,000/- (अधिकतम)

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 4

पूर्व में निर्धारित 18 खेलों के अतिरिक्त शेष सात खेलों की महिला/पुरुष वर्ग की अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं हेतु महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण की स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त अधोलिखित विवरणानुसार सात खेलों की महिला/पुरुष वर्ग की 14 अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं हेतु महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण को अनुमोदन प्रदान किया –

● तैराकी (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● तीरंदाजी (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● जूडो (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● नेटबाल (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● पिस्टल (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● योगा (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-
● ताईक्वाण्डो (महिला / पुरुष)	₹ 15,000/-

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 5

परीक्षा विभाग (सामान्य) का स्थायी अग्रिम ₹ 5,000/- किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त परीक्षा विभाग (सामान्य) का स्थायी अग्रिम ₹ 5,000/- किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 6

विभिन्न शुल्क तथा धरोहर आदि की वापसी की प्रक्रिया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त विभिन्न धरोहरों तथा अधिक जमा शुल्क की वापसी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/पुस्तकालयाध्यक्ष/मुख्य गृहपति/गृहस्वामिनी के अग्रसारण के आधार पर किये जाने तथा प्रवेश

निरस्तीकरण के कारण जमा शुल्क की वापसी कुलसचिव/प्रवेश परीक्षा नियन्त्रक के संस्तुति के उपरान्त किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया के अनुपालन की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 7

शिक्षाशास्त्र विभाग में एम0एड0 पाठ्यक्रम के स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालन हेतु 04 प्राध्यापक के पद सृजन तथा एम0एड0 के 30 स्ववित्तपोषित सीटों हेतु शुल्क ₹ 85,000/- (प्रथम वर्ष हेतु ₹ 55,000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु ₹ 30,000/-) निर्धारित किये जाने पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त एम0एड0 पाठ्यक्रम के स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 04.02.2000 एवं शासनादेश दिनांक 15.07.2015 के अनुसार संविदा के आधार पर 04 प्राध्यापक के पद सृजन तथा एम0एड0 के 30 स्ववित्तपोषित सीटों हेतु शुल्क की धनराशि ₹ 85,000/- (प्रथम वर्ष हेतु ₹ 55,000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु ₹ 30,000/-) निर्धारित किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 8

विश्वविद्यालय में बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की आवश्यकता (पूर्व में लिये गये निर्णयों एवं आदेशों के परिप्रेक्ष्य में) पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन से सम्बन्धित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से व्ययभार का वहन किये जाने की सहमति उल्लिखित हो, शासन को प्रेषित किये जाने पर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 9

खिलाड़ियों को भुगतान किये जाने वाले दैनिक भत्ते की दर ₹ 400/- से बढ़ाकर ₹ 550/- किये जाने विषयक उपाध्यक्ष खेलकूद परिषद् के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त खिलाड़ियों को भुगतान किये जाने वाले दैनिक भत्ते की दर ₹ 400/- से बढ़ाकर ₹ 500/- प्रतिदिन किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 10

गंगापुर परिसर में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त निदेशक, गंगापुर परिसर के प्रस्ताव के आलोक में अधोलिखित विवरणानुसार गंगापुर परिसर हेतु शासनादेश दिनांक 04.02.2000 एवं शासनादेश दिनांक 15.07.2015 की प्रक्रियानुसार संविदा के आधार पर पदों के सृजन की सहमति प्रदान की –

● 06 अध्यापक	–	वाणिज्य
● 01 अध्यापक	–	गणित (वाणिज्य विषय हेतु)
● 01 प्रोग्रामर	–	संगणक (वाणिज्य विषय हेतु)

अध्यापन एवं प्रयोगशाला हेतु

न्यूनतम अकादमिक अर्हता : बी.टेक. (कम्प्यूटर एण्ड इलेक्ट्रानिक्स कम्प्युनिकेशन)

- 01 परिचर (महिला) – गृह विज्ञान प्रयोगशाला
- 01 परिचर (महिला) – कामन रूम (महिला)

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 11

अन्य विभाग के अधिकारियों की भांति सम्पत्ति विभाग (सम्पत्ति अधिकारी) को मोबाइल फोन हेतु ₹ 1,000/- (रु० एक हजार मात्र) व्यय की स्वीकृति सम्बन्धी सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त सम्पत्ति अधिकारी को ₹ 750/- (रु० सात सौ पचास मात्र) प्रतिमाह की सीमान्तर्गत मोबाइल व्यय प्रतिपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 12

उद्यानों के उचित रखरखाव हेतु कम से कम दस माली वर्ष पर्यन्त के लिये तथा अन्य संसाधन जैसे ग्रास कटर, तलवार, उपकरण, कैंचा इत्यादि की उपलब्धता हेतु सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने माली के सम्बन्ध में कार्यसूची के बिन्दु संख्या 8 के अनुरूप कार्यवाही किये जाने तथा अन्य संसाधन जैसे ग्रास कटर, तलवार, उपकरण, कैंचा इत्यादि की उपलब्धता हेतु उपकरण मद से नियमानुसार क्रय किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 13

गांधी अध्ययनपीठ सभागार का आवंटन शुल्क ₹ 12,000/- + ₹ 600 (Generator) से बढ़ाकर ₹ 18,000/- निर्धारित किये जाने तथा जनरेटर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों की व्यवस्था आयोजक द्वारा सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी निदेशक, गांधी अध्ययनपीठ के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त गांधी अध्ययनपीठ सभागार का आवंटन शुल्क ₹ 12,000/- + ₹ 600 (Generator) से बढ़ाकर ₹ 18,000/- निर्धारित किये जाने तथा जनरेटर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों की व्यवस्था आयोजक द्वारा सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी निदेशक, गांधी अध्ययनपीठ के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 14

अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग के “पी०जी०डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइंस एवं योग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 04 संविदा अध्यापक पद को वित्त समिति से अनुमोदित कराने के सन्दर्भ में।” विषयक पत्र संख्या शा०शि०वि/697/सं०अ०/2015, दिनांक 01-09-2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त शारीरिक शिक्षा विभाग में पी०जी०डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइंस एवं योग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु शासनादेश दिनांक 04.02.2000 एवं शासनादेश दिनांक 15.07.2015 के अनुसार संविदा अध्यापक के 04 पद सृजित किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 15

समाजकार्य विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के व्यावहारिक कार्य मौखिकी में आयोजनकर्ता विभागाध्यक्ष को नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी अध्यक्ष, समाजकार्य विभाग के पत्र दिनांक 3-9-2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त मात्र परीक्षकों को ही नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 16

समस्त संविदा शिक्षक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के “विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में कार्यरत संविदा शिक्षकों के वेतन वृद्धि एवं सी0पी0एफ0 योजना लागू करने के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 04.09.2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को ₹ 21,600/- प्रतिमाह, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ₹ 10,000/- प्रतिमाह तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹ 9,300/- प्रतिमाह की दर से वेतन भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की। सी0पी0एफ0 योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 17

समाजकार्य विभाग में संचालित आई.आर.पी.एम. के स्ववित्तपोषित मद से समाजकार्य विभाग के व्यावहारिक कार्य अभिकरणों में छात्रों के निर्देशन, परामर्श एवं पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1995 में क्रीत वाहन (जो 1.50 लाख किलोमीटर चल चुका है और वर्तमान में चलने योग्य नहीं है) के स्थान पर नये वाहन क्रय की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष, समाजकार्य के पत्र संख्या 394/स0का0स0/2015, दिनांक 07/09/2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-05-2015 के निश्चय संख्या 11 के अनुरूप कार्यवाही किये जाने की सहमति प्रदान की।

– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु –

बिन्दु संख्या – 1

संविदा कर्मचारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के “संविदा कर्मचारियों (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 07.09.2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने कार्यसूची के बिन्दु संख्या 16 में की गयी संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 2

कुलानुशासक के “विश्वविद्यालय द्वारा दायर किये जाने वाले मुकदमों की पैरवी हेतु कोर्ट में प्रस्तुत होने से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने यात्रा भत्ता नियमों के अनुरूप कार्यवाही की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 3

कुलानुशासक के “सत्र 2015-16 की काउन्सिलिंग में सुरक्षा व्यवस्था में लगे कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों को काउन्सिलिंग हेतु स्वीकृत धनराशि के समतुल्य धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों को भी काउन्सिलिंग कार्य से सम्बद्ध सदस्यों के समान पारिश्रमिक भुगतान हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 4

कुलानुशासक के “कुलानुशासक मण्डल को प्रतिमाह मिलने वाली धनराशि में संशोधन के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किये जाने की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 5

मुख्य गृहपति के ‘उन्मेष – 2016’ (छात्रावास वार्षिकोत्सव) के लिए ₹ 2,00,000/- की राशि स्वीकृत करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 09-09-2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त ‘उन्मेष – 2016’ (छात्रावास वार्षिकोत्सव) के लिए ₹ 1,00,000/- की सीमान्तर्गत धनराशि छात्र कल्याण मद से (संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण की संस्तुति से) व्यय किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 6

अध्यक्ष एवं महामन्त्री, गैर शैक्षणिक विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के “परीक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।” विषयक पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को परीक्षा शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 7

रचना कुमारी व 13 अन्य के “एक साथ समायोजन निरस्त अन्य कर्मचारियों की भांति 17.11.2014 से लागू दर से प्रतिमाह स्थिर वेतन भुगतान हेतु निवेदन।” विषयक पत्र दिनांक 09.09.2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 8

कुलपति कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को भी अन्य की भांति वार्षिक मूल्यांकन पारिश्रमिक प्रदान करने सम्बन्धी कुलपति कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण के पत्र दिनांक 09-09-2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 9

IMF कार्य विस्तार की पत्रावली संख्या 5A(IMF4-से0विस्तार)/12 के पृष्ठ संख्या 16 पर IMF Cell के कर्मियों के सेवा विस्तार एवं मानदेय भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 04/09/2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त प्रकरण में पूर्व में वित्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुरूप प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही किये जाने की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 10

गंगापुर परिसर हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकॉपियर एवं फर्नीचर आदि क्रय की पत्रावली पर सम्पत्ति अधिकारी के 15 से 20 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव दिनांक 09/09/2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त आय-व्ययक प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 11

संस्तुति – समिति ने ₹ 20,000/- की सीमान्तर्गत कुलपति के मोबाइल क्रय हेतु सहमति प्रदान की, साथ ही विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में केन्द्रीय कार्यालय में तैनात अधीक्षक, लेखाकार, आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा अवर अभियन्ता को ₹ 500/- प्रतिमाह (प्रत्येक) की सीमान्तर्गत मोबाइल व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 12

आनलाइन काउन्सिलिंग में लगे अध्यापकों/कर्मचारियों हेतु पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त आनलाइन काउन्सिलिंग में लगे अध्यापकों को ₹ 100/-, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ₹ 80/- तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹ 50/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 13

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त ऐसे निर्माण कार्यों जिनमें कार्यदायी संस्थाओं के साथ-साथ ठेकेदारों के स्तर पर भी कार्य कराये गये हों, में ठेकेदारों से कराये गये कार्यों की माप पुस्तिका (M.B.) का सत्यापन कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक से कराये जाने के उपरान्त इस निमित्त गठित समिति से सत्यापन कराये जाने की सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 14

प्रो० उदित नारायण चौबे, समन्वयक-मूल्यांकन केन्द्र, सेमेस्टर परीक्षा एवं डॉ० रंजन कुमार, समन्वयक-मूल्यांकन केन्द्र, सेमेस्टर/बी०एड० परीक्षा के सेमेस्टर परीक्षा के मूल्यांकन में भी वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन की दर से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति – समिति ने विचारोपरान्त अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त कर तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने तक प्रकरण को स्थगित रखा।

प्रतिनिधि वित्त विभाग, अपर निदेशक, कोषागार द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्धारित एजेण्डा से अलग प्रस्ताव अतिमहत्वपूर्ण हों, तभी रखे जाएं। वित्त समिति के समक्ष सुविचारित टिप्पणी सहित एजेण्डा के माध्यम से प्रस्ताव रखे जाने चाहिए।

पूरक-कार्यसूची

बिन्दु सं०(01):-

श्री सुधांशु कुमार सिंह के पत्र दिनांक 02.09.2015 जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग में अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर

विश्वविद्यालय द्वारा शासन को पहुँचाई जा रही आर्थिक क्षति की जाँच किये जाने तथा प्रो० सत्या सिंह की नियुक्ति निरस्त करने के सन्दर्भ में है, पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर श्री सुधांशु कुमार सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 02.09.2015 को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया कि प्रो०सत्या सिंह से प्रकरण पर आख्या प्राप्त कर अगली बैठक में रखा जाय।

बिन्दु सं०(02):-

उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(4) एवं परिनियम खण्ड 2.09(1) के अधीन कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 27.04.2015 के अपराहन से तीन वर्ष के लिए कार्यालय आदेश सं० कु०स०/55/2ए सा०प्र०-I(संकायाध्यक्ष)13/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रो०कृपाशंकर जायसवाल, वाणिज्य विभाग को चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं०(03):-

उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(4) एवं परिनियम खण्ड 2.09(1) के अधीन कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 05.06.2015 के अपराहन से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो के लिए कार्यालय आदेश सं० कु०स०/109/2ए सा०प्र०-I(संकायाध्यक्ष)13/2015 दिनांक 13 मई, 2015 द्वारा प्रो०रणधीर प्रताप सिंह, अंग्रेजी विभाग को चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में मानविकी संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं०(04):-

उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(4) एवं परिनियम खण्ड 2.08 के अधीन कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 25.04.2015 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए कार्यालय आदेश सं० कु०स०/110/2ए सा०प्र०-I(संकायाध्यक्ष)13/2015 दिनांक 13 मई, 2015 द्वारा प्रो०सुरेन्द्र बहादुर सिंह, विधि विभाग को चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में विधि संकाय का पुनः संकायाध्यक्ष बनाये जाने की सूचना।

निर्णय :-

परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(05):-

डॉ0सौम्या यादव, असि0प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग की परिवीक्षण काल दिनांक 20.08.2010 को पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.08.2010 से उक्त पद पर स्थायीकरण जो मा0सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 सं0 31690/2010 के निर्णय से आच्छादित होगी, पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर डॉ0सौम्या यादव, असि0प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग की परिवीक्षण काल दिनांक 20.08.2010 को पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.08.2010 से उनकी सेवा स्थायी किये जाने का निर्णय लिया जो मा0सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 सं0 31690/2010 के निर्णय से आच्छादित होगी।

बिन्दु सं0(06):-

सम्बद्धता विभाग के पत्र संख्या कु0स0-2बी.स0अ0/5357/01-वि0आ0-10-कार्य0परि0 2011/2015 दिनांक 24.09.2015 द्वारा सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 की संस्तुति पर मा0कुलपति जी के आदेशानुसार कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालयों को प्रदान की गयी सम्बद्धता एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 में बी0एड0 तथा दिनांक 28.05.2015 में अन्य विषयों/पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल के आभाव में महाविद्यालयों को दी गई सम्बद्धता की स्वीकृति के आलोक में शासनादेश के अनुसार परीक्षाफल घोषित होने पर सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान किया।

बिन्दु सं0(07):-

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 की संस्तुति एवं कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति महोदय के आदेशानुसार अधोलिखित विवरण के अनुसार महाविद्यालयों को दिये गये विस्तारण/सम्बद्धता की पुष्टि पर विचार-

प्रस्ताव-1	हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	स्नातक-शारीरिक शिक्षा, स्नातकोत्तर-भौतिक विज्ञान भूगोल	रू0. 1000/-प्रतिविषय अर्थदण्ड शुल्क के साथ निरीक्षण मण्डल गठित किया गया है। निरीक्षण आख्या अनुपलब्ध है।	स्थायी
निर्णय- 2015-16 हेतु विस्तारण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि तीन माह के अन्दर निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करे।				

प्रस्ताव-2	श्यामतारा महिला महाविद्यालय, कोसड़ा, मिर्जामुराद, वाराणसी	स्नातक-बी0काम0	स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव अनुपलब्ध	स्थायी
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-3	सुदामा देवी महाविद्यालय, धरौव, चन्दौली	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान	एकल निरीक्षण मण्डल के गठन हेतु पत्रावली प्रस्तुत	स्थायी
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-4	विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय, परसुरामपुर, चन्दौली	स्नातकोत्तर-समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त	स्थायी
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-5	एच0एस0डी0 विधि महाविद्यालय, भैसौड़, बलाय, पहाड़, हलिया, मीरजापुर	स्नातक-एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव अनुपलब्ध	
निर्णय- महाविद्यालय में विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शासन के पत्रां सम्ब0 304/सत्तर-6-2012-2 (247)/2012 दिनांक 12.09.2012 द्वारा सम्बद्धता प्राप्त है। सम्बद्धता के पश्चात् बार कौंसिल आफ इंडिया से अनुमति प्राप्त न होने के कारण 2 वर्ष प्रवेश का कार्य नहीं हुआ। बार कौंसिल आफ इंडिया के पत्रांक BCI : 1078/2014 (LE Mtg) Dated 21-07-2015 द्वारा सत्र 2014-15 एवं 2015-16 हेतु अनुमति दी गयी है। अतएव 2015-16 का विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया कि महाविद्यालय तीन माह के अन्दर निरीक्षण कराते हुए सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण कर लेगा।				
प्रस्ताव-6	गंगा प्रसाद महाविद्यालय, मिश्रपुर, खैरा, छानबे, मिर्जापुर	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या तिथि उपरान्त प्राप्त होने के फलस्वरूप सुनवाई के उपरान्त निर्णय प्रतीक्षित	
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-7	आर0 पी0 पी0जी0 कालेज, धरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र	स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त	स्थायी
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-8	सेण्ट जेवियर्स महाविद्यालय, धरहरा, बलिया	स्नातक-बी0सी0ए0, बी0काम0	स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव अनुपलब्ध	
निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।				
प्रस्ताव-9	जय प्रकाश महाविद्यालय, नगरा, बलिया	स्नातक-शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान,	स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आख्या निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त	स्थायी

		समाजशास्त्र		
	निर्णय-2015-16 हेतु विस्तरण इस शर्त के साथ अनुमन्य कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु पृथक-पृथक रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अर्थदण्ड महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोष में जमा करे।			
प्रस्ताव-10	शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय, पड़री, मिर्जापुर	स्नातक- विज्ञान संकाय (बी0एस-सी0), स्नातक-शिक्षाशास्त्र स्नातकोत्तर -भूगोल,	अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या समय से प्राप्त होने के फलस्वरूप सुनवाई के उपरान्त निर्णय प्रतीक्षित	अस्थायी
निर्णय-2015-16 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-11	मनवास विजय सिंह महाविद्यालय, सरसवाँ, (शिवपुर), वाराणसी	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान	निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-12	पं0 श्रीनिवास द्विवेदी महाविद्यालय, अरंगी, चन्दौली	स्नातक-हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं बी0काम0	निरीक्षण मण्डल की आख्या में कमियाँ इंगित होने के कारण एकल निरीक्षण की आख्या प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-13	काशी विश्वनाथ महिला उच्च शिक्षा संस्थान, पुरे, गोसाईदास, ज्ञानपुर, भदोही	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान एवं गृहविज्ञान	निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-14	आर0 पी0 पी0जी0 कालेज, धरसड़ा, घोरावल	स्नातकोत्तर-हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र	अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-15	जनता महाविद्यालय, बभनी, सोनभद्र	स्नातक-हिन्दी संस्कृत, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र	निरीक्षण मण्डल की आख्या में कमियाँ इंगित होने के कारण एकल निरीक्षण की आख्या प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-16	भगवान श्री कृष्ण महाविद्यालय, काँटा, चन्दौली	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं इतिहास	निरीक्षण मण्डल की आख्या निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त	अस्थायी
निर्णय-2016-17 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।				
प्रस्ताव-17	एपेक्स कालेज आफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीच्यूट, हाइडिल	चिकित्सा विज्ञान संकाय के अंतर्गत बी0पी0टी0 पाठ्यक्रम	चिकित्सा हेतु पूर्व बैठक दिनांक 28.01.2015 में लिए गये निर्णय के अनुसार आगामी सत्र से सम्बद्धता दिये	अस्थायी

रोड, डी0एल0डब्ल्यू0 वाराणसी	जाने पर विचारोपरान्त
निर्णय-2015-16 से प्रपत्र बी पर शर्तों के अधीन सम्बद्धता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।	

निर्णय :- परिषद् ने विचारोपरान्त महाविद्यालयों को दिये गये विस्तरण/सम्बद्धता को पुष्ट किया।

बिन्दु सं0(08):- सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 में बी0एड0 एवं दिनांक 28.05.2015 में अन्य विषयो/पाठ्यक्रमों को परीक्षाफल के अभाव में मानक के अनुसार परीक्षाफल होने/अन्य कमियों की पूर्ति की शर्त के अधीन दी गयी सम्बद्धता की स्वीकृति (सम्बद्धता की पूर्वानुमति) के आलोक में शासनादेश के अनुसार परीक्षाफल होने/कमियों की पूर्ति किये जाने पर अधोलिखित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में विचार-

बी0एड0 पाठ्यक्रम-
जनपद कोड - 01 (वाराणसी)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	राजभवन/शासन द्वारा प्राप्त सम्बद्धता का पत्रांक व तिथि	सम्बद्धता की अवधि
1	श्री रामकिशुन कालेज, गोकुल, करसड़ा, वाराणसी	स्नातक-बी0एड0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 122/सत्तर-6-2014-2 (112)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 अस्थायी-कु0स0-2 B स0अ0/1593/01-393-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
2	बसमत्ती देवी संकटा प्रसाद महिला महाविद्यालय, भडेहरा, खोचवाँ, वाराणसी	स्नातक-बी0एड0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 121/सत्तर-6-2014-2 (113)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1592/01-402-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
3	श्री कृष्ण सुदामा संस्थान, भंदहा कला, कैथी, वाराणसी	स्नातक-बी0एड0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 113/सत्तर-6-2014-2 (108)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1606/01-442-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
4	श्री जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खेवली, वाराणसी	स्नातक-बी0एड0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 126/सत्तर-6-2014-2 (125)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 अस्थायी-कु0स0-2 B स0अ0/1594/01-403-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

जनपद कोड - 02 (चन्दौली)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	राजभवन/शासन द्वारा प्राप्त सम्बद्धता का पत्रांक व तिथि	सम्बद्धता की अवधि
1	सुदामा देवी महिला महाविद्यालय, धरौंव, चन्दौली	स्नातक-बी0एड0	अस्थायी-सम्ब0 117/सत्तर-6-2014-2 (117)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 कु0स0-2 B स0अ0/1617/02-202-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

2	मौ खण्डवारी महिला महाविद्यालय, चहानियों, चन्दौली	स्नातक-बी0एड0 (100 सीट)	अस्थायी-सम्ब0 127/सत्तर-6-2014-118/2014 दिनांक 07.05.2014 कु0स0-2 बी स0अ0/1622/02-211-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
---	--------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

जनपद कोड - 04 (मिर्जापुर)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	राजभवन/शासन द्वारा प्राप्त सम्बद्धता का पत्रांक व तिथि	सम्बद्धता की अवधि
1	एस.एस.पी.डी. महिला महाविद्यालय, तिसुही, मड़िहान, मिर्जापुर	स्नातक- बी0एड0	अस्थायी-सं0 सम्ब0 118/सत्तर-6-2014-2(120)/2014 दिनांक-07.05.2014 कु0स0-2 B स0अ0/1616/04-248-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
2	आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार, मिर्जापुर	स्नातक-बी0एड0	अस्थाई संख्या-सम्ब0 115/सत्तर-6-2014-2 (109)/2014 दिनांक 07.05.2014 कु0स0-2 B स0अ0/1615/04-242-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
3	राम ललित सिंह महिला महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मीरजापुर	स्नातक-बी0एड0	अस्थाई संख्या-सम्ब0 1026/सत्तर-6-2014-2(89)/2014 दिनांक 07.05.2014 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1614/04-245-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

जनपद कोड - 06 (बलिया)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	राजभवन/शासन द्वारा प्राप्त सम्बद्धता का पत्रांक व तिथि	सम्बद्धता की अवधि
1	गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया	स्नातक-बी0एड0	अस्थाई संख्या-सम्ब0 120/सत्तर-6-2014-2(111)/2014 दिनांक 07.05.2014 अस्थायी-कु0स0-2 B स0अ0/1606/06-442-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2014 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

अन्य पाठ्यक्रम-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य/ कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	शासन/विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, भैरव तालाब, वाराणसी	स्नातकोत्तर-प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र	अस्थाई-संख्या-सम्ब0 366/सत्तर-6-2013-2(223)/ 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/1637/01-395-2015/2015 5 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
2	ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, गंगापुर, मंगारी, वाराणसी	स्नातकोत्तर-वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 369/सत्तर-6-2013-2(212)/2013, 14 अगस्त, 2013 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/1641/01-398-2015/2015 5 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष

3	इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, नीबिया, बच्छांव, वाराणसी	स्नातकोत्तर-एम0काम0	अस्थायी संख्या-सम्ब0 335 / सत्तर-6-2013-2(347) / 2013, 19 अगस्त, 2013 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1648 / 01-401-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
4	डॉ. घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी	स्नातकोत्तर- मनोविज्ञान, भूगोल	अस्थायी संख्या-सम्ब0 308 / सत्तर-6-2013-2(222) / 2013 20 अगस्त, 2013 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1638 / 01-418-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
5	सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय, गहनी, वाराणसी	स्नातकोत्तर- समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	अस्थायी पत्रांक सम्ब0-360 / सत्तर-6-2013-2(335) / 2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1644 / 01-434-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
6	महादेव महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी	स्नातक-बी0काम0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 150 / सत्तर-6-2012-2(65) / 2012, 03 अगस्त, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1635 / 01-441-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
		स्नातक अतिरिक्त-मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, शारीरिक शिक्षा	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 298 / सत्तर-6-2012-2(219) / 2012, 12 सितम्बर, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1635 / 01-441-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
7	स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय, चोलापुर, वाराणसी	स्नातकोत्तर- गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	अस्थायी पत्रांक सम्ब0-358 / सत्तर-6-2013-2(325) / 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1647 / 01-417-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक- 01.07.2015 से एक वर्ष
8	पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, पलही पट्टी, वाराणसी	स्नातक- शारीरिक शिक्षा	पत्रांक-संख्या-1128 / सत्तर-5-2012-41(2) / 2003 दिनांक 24 अगस्त, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1643 / 01-455-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
9	श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड एजुकेशन, दनियालपुर, पंचकोशी, वाराणसी	स्नातक-हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान	अस्थाई पत्रांक -सम्ब0 297 / सत्तर-6-2012-2(354) / 2012 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1640 / 01-388-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

10	सुभाष चन्द्र महाविद्यालय, चकरमा, वाराणसी	स्नातक-हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 147/सत्तर-6 -2012-2 (57)/2012 दिनांक 03 अगस्त, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0/1645/01-409-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
11	शान्ती शिक्षा निकेतन महिला महाविद्यालय, सिन्धोरा, वाराणसी	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 149/सत्तर-6 -2012-2 (66)/2012 दिनांक 03 अगस्त, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0/1636/01-389-2014/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
12	राज स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंसेज, सिसवां, बाबतपुर, वाराणसी	स्नातक-बी0बी0ए0, बी0सी0ए0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 227/सत्तर-6 -2012-2 (171)/2012 दिनांक 21 अगस्त, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0/1639/01-393-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
13	संकट मोचन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय, चौबेपुर, वाराणसी	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा0 इतिहास, राजनीतिशास्त्र स्नातक-बी0काम0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 296/सत्तर-6-2012-2 (286)/2012 दिनांक 12 सितम्बर, 2012 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0/1646/01-412-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

जनपद कोड - 02 (चन्दौली)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	शासन/विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	गंजी प्रसाद महाविद्यालय, डिहवा, मुगलसराय, चन्दौली	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, मध्यकालीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 263/सत्तर-6-2012-2(387)/2005 दिनांक 16 अगस्त, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1675/02-199-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

जनपद कोड - 03 (भदोही)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	शासन/विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	अनुश्री कॉलेज, कैड़ा, सुरियावाँ, संत रविदास नगर, भदोही	स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 90/सत्तर-6-2013-2(102)/2013 दिनांक 14 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1694/03-66-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015 विस्तरण-कु0स0-2 बी स0अ0/5257/03-66-2015/2015 दिनांक 03 सितम्बर, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

जनपद कोड – 04 (मिर्जापुर)				
क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	गसन/विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय, मगरहा, मिर्जापुर	स्नातकोत्तर-एम0काम0 स्नातक-अतिरिक्त संगीत (गायन), संस्कृत	पत्रांक-संख्या-1127/सत्तर-5-2012-41(5)/2011 दिनांक 27 अगस्त, 2012 स्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1734/04-256-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से स्थायी
2	स्वामी गोविन्दाश्रम महाविद्यालय, पैड़ापुर, मिर्जापुर	स्नातकोत्तर- समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	अस्थाई संख्या-सम्ब0 357/सत्तर-6-2013-2 (356)/2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1716/04-257-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष
3	आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार, मिर्जापुर	स्नातक अतिरिक्त- शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी	अस्थायी पत्रांक-संख्या सम्ब0 232/सत्तर-6-2012-02 (170)/2012 दिनांक 24 अगस्त, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1705/04-241-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
		स्नातकोत्तर- भूगोल, हिन्दी	अस्थाई संख्या-सम्ब0 306/सत्तर-6-2013-2 (220)/2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1704/04-240-2015/2015 दिनांक 09 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
4	स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, कछवाँ, मिर्जापुर	स्नातकोत्तर-शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र	अस्थायी पत्रांक-संख्या सम्ब0 353/सत्तर-6-2013-2 (344)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1724/04-293-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष
5	राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर	स्नातक अतिरिक्त-भूगोल, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र	अस्थायी पत्रांक संख्या सम्ब0 308/सत्तर-6-2012-2(361)/2012 दिनांक 12 सितम्बर, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1707/04-262-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
		स्नातक अतिरिक्त- गृहविज्ञान, संगणक	अस्थायी पत्रांक संख्या सम्ब0 308/सत्तर-6-2012-2(361)/2012 दिनांक 12 सितम्बर, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/1707/04-262-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष

		स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	अस्थायी पत्रांक संख्या सम्ब0 357 / सत्तर-6-2013-2(336) / 2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1706 / 04-263-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
6	स्व0 डॉ0 कुबेर सिंह महाविद्यालय, भाईपुर कला, भूर्डीली, चुनार, मिर्जापुर	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 141 / सत्तर-6 -2012-2 (669) / 2011 दिनांक 03 अगस्त, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1715 / 04-262-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
7	मोती सिंह महाविद्यालय, हिनैता करमा, मिर्जापुर	स्नातक-हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 142 / सत्तर-6 -2012-2 (666) / 2011 दिनांक 03 अगस्त, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1718 / 04-250-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
जनपद कोड - 05 (सोनभद्र)				
क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला / विधि / शिक्षा / विज्ञान / वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक / स्नातकोत्तर)	शासन / विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	अवधूत भगवान राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अनपरा, सोनभद्र	स्नातकोत्तर- समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	अस्थाई संख्या-सम्ब0 324 / सत्तर-6-2013-2 (342) / 2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1748 / 05-162-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
जनपद कोड - 06 (बलिया)				
क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कला / विधि / शिक्षा / विज्ञान / वाणिज्य / कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक / स्नातकोत्तर)	शासन / विश्वविद्यालय का पत्रांक व दिनांक जिसके द्वारा सम्बद्धता दी गयी	सम्बद्धता की अवधि
1	कुबेर महाविद्यालय, हसनपुर, जजौली नं.-2, बलिया	स्नातकोत्तर-समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	अस्थायी-सम्ब0 747 / सत्तर-6-2013-2(633) / 2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1760 / 06-417-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष
2	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी चौधरी महाविद्यालय, विशुनपुर, बलेश्वर, बलिया	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र	अस्थाई पत्रांक-ई.स.1832 / जी.एस., दिनांक-06.10.2006 अस्थायी-संख्या-सम्ब0 548 / सत्तर-6-2012-2(551) / 2012 दिनांक 02 नवम्बर, 2012 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1763 / 06-452-2015 / 2015 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2012 से तीन वर्ष दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष

3	जय माता दुल्हमी देवी महाविद्यालय, चोगड़ा, बलिया	स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान, हिन्दी	अस्थायी-सम्ब0 663 / सत्तर-6-2013-2(513) / 2013 दिनांक 20 नवम्बर, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1765 / 06-432-2015 / 201 5 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक 01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से एक वर्ष
4	श्री नीलम देवी महाविद्यालय, धतुरी टोला, बैरिया, बलिया	स्नातकोत्तर-गृहविज्ञान, समाजशास्त्र	अस्थाई पत्रांक-सम्ब0- 342 / सत्तर-6-2013-2(250) / 2013, दिनांक 19 अगस्त, 2013 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0 / 1768 / 05-469-2015 / 201 5 दिनांक 30 मई, 2015	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष

निर्णय :- परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर सम्बद्धता समिति की सन्दर्भगत तिथियों में की गई बैठक के निर्णय के आलोक में सम्बद्धता विभाग के प्रस्ताव के क्रम में परीक्षाफल होने/कर्मियों की पूर्ति किये जाने पर उपर्युक्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता दिये जाने पर सहमति प्रदान किया।

बिन्दु सं0(09):- प्रो०शम्भू उपाध्याय, निदेशक, एन०टी०पी०सी०परिसर, सोनभद्र के पत्र सं० 555 / निदेशक / म०गां०का०वि०एन०टी०पी०सी० / 2015 दिनांक 30.09.2015 जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर शक्तिनगर सोनभद्र में क्रमशः इतिहास एवं वाणिज्य विषय में कार्यरत संविदा अध्यापक डॉ०ज्योति रानी जायसवाल एवं डॉ०शिवेश त्रिपाठी के अनुपस्थिति के सम्बन्ध में है पर, विचार।

निर्णय :- परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर सन्दर्भित संविदा अध्यापकों को एक नोटिस दिये जाने के निर्णय के साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अध्यापन कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, एन०टी०पी०सी०परिसर, शक्ति नगर, सोनभद्र(तृतीय परिसर, म०गां०काशी विद्यापीठ) को रु० 500 /- प्रति व्याख्यान की दर से अतिथि प्रवक्ता के रूप में कार्य लिये जाने हेतु कुलपति जी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु सं०(10):- शासन के पत्र संख्या 8/4/1/2002 टी०सी०-1-का०-2-2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कर्मियों की पदावनति पश्चात् उ०प्र० शासन को भेजी गयी सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :-

परिषद् ने विचारोपरान्त अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कर्मियों की पदावनति पश्चात् उ०प्र०शासन को भेजी गयी अधोलिखित सूची को अनुमोदित किया-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान में धारित पदनाम	पदावनति के पश्चात् का पदनाम
1.	श्री राजाराम	अधीक्षक	वरिष्ठ सहायक
2.	श्री सर्वजीत	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
3.	श्री शिवशंकर राम	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
4.	श्री गणेश राम	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री योगेन्द्र प्रसाद	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
6.	श्री कमलेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	नैतिक लिपिक
7.	श्री फूलराज	वरिष्ठ सहायक	नैतिक लिपिक
8.	श्री भगवान राम	कनिष्ठ सहायक	नैतिक लिपिक
9.	श्री जय प्रकाश पुत्र- श्री महेन्द्र	नैतिक लिपिक	नैतिक लिपिक पद पर यथावत्
10.	श्री लाल बहादुर	नैतिक लिपिक	परिचर/चतुर्थ श्रेणी
11.	श्री जितेन्द्र कुमार खरवार	नैतिक लिपिक	परिचर/चतुर्थ श्रेणी
12.	श्री वीरेन्द्र प्रताप	कनिष्ठ सहायक	परिचर/चतुर्थ श्रेणी
13.	श्री नन्हकू राम	नैतिक लिपिक	परिचर/चतुर्थ श्रेणी
14.	श्री उमाशंकर	नैतिक लिपिक	परिचर/चतुर्थ श्रेणी

बिन्दु सं०(11):-

विश्वविद्यालय के अधिवक्ता पैनल में अधोलिखित अधिवक्ताओं को सम्मिलित किये जाने पर विचार-

1. श्री सुनील कुमार त्रिपाठी
2. श्री अनिल कुमार
3. श्री मंगला प्रसाद राय
4. श्री अरफ खान
5. श्री वेद प्रकाश द्विवेदी
6. श्री आर०पी०कुमरा

निर्णय :-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता पैनल में उपर्युक्त अधिवक्ताओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :-

बिन्दु सं०(01):-

विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिलों में संचालित आयुर्वेद मेडिकल कालेज या नये आयुर्वेद मेडिकल कालेज को सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रकरण सदन के पटल पर रखा गया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में संचालित आयुर्वेद महाविद्यालयों की पत्रावलियाँ, उन्हें पूर्व में जिस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी गई है, वहाँ से प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय और नये मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में नियमानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जाय।

बिन्दु सं0(02):-

सदन के पटल पर पुस्तक मद में प्राप्त अनुदान से पुस्तक कय का प्रकरण रखा गया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि पुस्तक मद में प्राप्त अनुदान से पुस्तक कय किये जाने हेतु धन का आवण्टन विभागवार कर दिया जाय जिसमें 30% धनराशि केन्द्रीय पुस्तकालय एवं 70% धनराशि विभागों को आवंटित किया जाय। आवण्टित धनराशि से सभी विभागाध्यक्षों को विभाग के लिए पुस्तक कय किये जाने की अनुमति दी जाय। विभाग अंश से कय की गई पुस्तक विभागीय पुस्तकालय में रखी जायेगी तथा केन्द्रीय पुस्तकालय मद की पुस्तकें पुस्तकालयाध्यक्ष के माध्यम से कय की जायेगी।

बिन्दु सं0(03):-

चुनाव अधिकारी, छात्र संघ चुनाव (2015-16) (विशेष आमंत्रित) द्वारा संशोधित छात्र-संघ नियमावली सत्र 2015-16 के कुछ बिन्दुओं(प्राविधानों) यथा बिन्दु संख्या 4.स, 4.द.1 एवं 4.द.3 में उल्लिखित व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत् है—

4.स— एक से अधिक परिसर वाले शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र संघ :

विगत वर्षों की भाँति ही इस वर्ष भी (सत्र 2015-16) छात्र-संघ का चुनाव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मुख्य परिसर का स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराया जायेगा। सम्बद्ध एन0टी0पी0सी0 परिसर तथा गंगापुर परिसर के चुनाव पृथक रूप से सम्पन्न कराए जायेंगे तथा इन दोनों परिसरों से दो-दो परिसर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा जिनके अधिकार संकाय प्रतिनिधियों के समान होंगे।

4.द.1— छात्र संघ चुनाव वार्षिक होंगे। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में यथासम्भव प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से 56 दिन के अन्दर चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे। यदि किन्हीं

अपरिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न न कराया जा सके तो उस सत्र में संघ निलम्बित माना जायेगा।

4.द.3— 10 दिनों का चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार से होगा :

दिन	कार्य	समय
प्रथम दिन	विहित प्रपत्र में नामांकन	चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा
द्वितीय दिन	नामांकन पत्रों/संलग्न दस्तावेजों की जाँच	”
तृतीय दिन	(i) नामांकन वापसी	”
	(ii) शेष उम्मीदवारों की पदवार सूची का प्रकाशन	”
दशवें दिन	(i) मतगणना	”
	(ii) मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	”

परिषद ने विचार-विमर्श के अनन्तर संशोधित छात्र संघ नियमावली सत्र 2015-16 के उपर्युक्त बिन्दुओं के संशोधन को यथावत स्वीकार किया। छात्र संघ चुनाव सत्र 2015 -16 संशोधित नियमों के अनुसार सम्पन्न होगा।

बिन्दु सं0(04):-

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 31.10.2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रो०सत्येन्द्र नाथ चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति का जाँच प्रतिवेदन (जो मदन मोहन मालवीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान को संकाय के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है) दिनांक 01.10.2015 सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

परिषद ने निर्णय लिया कि प्रो० ओम प्रकाश सिंह को निदेशक के साथ-साथ संकायाध्यक्ष भी माना जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण को राजभवन अनुमोदन हेतु भेजा जाय एवं अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही इसका क्रियान्वयन किया जाय।

बिन्दु सं0(05):-

परिषद को छात्रावासों की छोटी-छोटी यथा बिजली, दरवाजों, खिड़कियाँ एवं शौचालयों आदि के मरम्मत में हो रही कठिनाईयों को अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया।

परिषद् ने विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि मुख्य गृहपति को स्वीकृत रू0 5,000/-स्थायी अग्रिम को रू0 25,000/- (रू0पच्चीस हजार मात्र) किया जाय जिससे मुख्य गृहपति द्वारा सन्दर्भित मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।


कुलसचिव

ह०
कुलपति